



(148)

समक्ष न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवालियर,
केण्ट जबलपुर म.प्र.

राजस्व निगरानी क- /2016

A-7180-2-16

श्री सगीर अहमद पिता स्व श्री हाजी बशीद अहमद
निवासी- म.न. 720 पुराना, नया 474, उडिया मोहल्ला
छोटी मस्जिद के पास, छोटी ओमती, आठ नल के सामने
तह. व जिला जबलपुर म.प्र.

श्रीमती नफीसा बी पति स्व. श्री मो. शहीद उर्फ कल्लू खाँ
एवं अन्य निवासी- 476/1, उडिया मोहल्ला छोटी मस्जिद
के पास छोटी ओमती आठ नल के सामने
तह. व जिला जबलपुर

निगरानीकर्त्तागण

(170)

पूर्ण प्राप्ति
21.7.16

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा
श्रीमान कलेक्टर जबलपुर म.प्र.
2. श्री रसीद खाँ पिता बाबू खाँ एवं अन्य 3
निवासी- म.न. 476/1, उडिया मोहल्ला
छोटी मस्जिद के पास छोटी ओमती आठ
नल के सामने तह. व जिला जबलपुर

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 47 (क) (5) उपधारा 8 मारतीय
स्टाम्प अधिनियम।

यह निगरानी प्रकरण विचारण न्यायालय श्रीमान
कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जबलपुर
म.प्र. के राजस्व प्रकरण क. 190/बी-103/33.

/2014-15 जिसमे पक्षकार म.प्र. शासन विरुद्ध
रसीद खाँ एवं अन्य मे पारित आलोच्य आदेश
दिनांक 29/09/2015 से क्षुब्ध एवं परिवेदित
होकर निम्नांकित अपील प्रस्तुत की जा रही

है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 7180—एक / 2016 अप्रैल

थान दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभि
आदि के हस्ताक्षर

18/4/19

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील क्लेवटर आफ स्टाम्पस् जिला जबलपुर ब्दाया प्रकरण क्रमांक 190/बी-103/14-15 में पारित आदेश 29-9-15 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

२। मन्त्र्योऽशासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय शोपाल ब्दाया मन्त्र्यो राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 सितम्बर 2018 में प्रकाशित अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) में किये गये संशोधन के परिणीक्ष्य में क्लेवटर आफ स्टाम्पस् ब्दाया पारित आदेशों के विरुद्ध अपील राजस्व आयुक्त को होगी। तदनुसार प्रकरण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सुनवाई हेतु अंतरित किया जाता है। पक्षकार आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 28-5-2019 को उपस्थित रहें।

सदस्य

आयुक्त, जबलपुर संभाग,